

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3435/2026

Ajay Kumar S/o Satyanarayan, Aged About 21 Years, Adopted Son Of Unkar Lal Resident Of Pilkheri, Police Station Kanera, District Chittorgarh. (At Present Lodged In District Jail, Bhilwara.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sunil Vishnoi

For Respondent(s) : Mr. Lalit Kishor, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— पुर, जिला— भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 46/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से जो मादक पदार्थ अफीम 1.420 किलोग्राम बरामद हुआ है, वह वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ अफीम की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अजय कुमार पुत्र सत्यनारायण** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J